झारखंड सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 888 / राँची, दिनांक 31/03/2018
01/उ0नि0/सूचनाधिकार–01/2011

प्रेषक,
रमाकान्त सिंह,
अपर उद्योग निदेशक

सेवा में,
झारखण्ड राज्य सूचना आयोग,
झारखण्ड, राँची।

विषयः सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की कंडिका 4(i)(b) को राज्य के सभी लोक प्राधिकारियों को अनुपालन कराने के संबंध में।

प्रसंगः उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 647 दिनांक 08.03.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की कंडिका 4(i)(b) का अनुपालन निम्न प्रकार हैः–

क0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	<u>धारा–**4(i)(b) की उपधारा**</u> अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्त्तव्य	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के साथ साथ मेगा उद्योग की स्थापना में सहयोग एवं इसके माध्यम से रोजगार सृजित करने का उद्देश्य पूरा करना है।
2	अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियों और कर्त्तव्य	निदेशालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारी/सहायक/उप निदेशक को कार्य आवंटन किया जाता है तथा अपने शक्तियों के अधीन वे कार्य सम्पादित करते हैं।
3	विनिश्चय करने की प्रकिया में पालन की जानेवाली प्रकिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	औद्योगिक इकाइयों में निवेश, बैंकों से समन्वय, विभिन्न विभागों से प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना/अनापति प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने में सहयोग/समन्वय करने का कार्य करना।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानदण्ड	निदेशालय में सिंगल विण्डो सिस्टम के माध्यम से ऑन लाईन कार्य हो रही है तथा हर कार्यों में पारदर्शी मानदण्ड की प्राथमिकता दी जाती है।
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	निदेशालय स्तर पर दी जा रही सुविधा के लिए नियमावली एवं नीति घोषित की जाती है एवं उसी के अनुरूप सारी कार्रवाई की जाती है। सारी नीतियाँ/नियम वेबसाईट पर अपलोडेड की गयी है तथा आम नागरिक के लिए यह सुलभ रहता है।

6	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण	कार्यालय में प्राप्त सभी दस्तावेज/अभिलेख/कागजात बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के अनुसार संधारित की जाती है।
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए उसके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	निदेशालय में स्थापित सिंगल विण्डो सिस्टम के तहत प्राप्त आवेदनों पर public grievances का भी सुविधा मौजूद है तथा विशेष परिस्थति में उनसे परामर्श या किसी नीति विशेष के संबंध में आम नागरिक से भी परामर्श लिया जाता है।
8	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत तक जनता की पहुंच होगी, विवरण।	प्रायः सभी परिषदों/समिति में उस विषय से संबंधित विशिष्टि जानकारी रखनेवाले सदस्य नामित किये जाते हैं या विशेष परिस्थति में अन्य विशिष्टि सलाहकार को भी सम्मिलित किया जाता है।
9	अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका।	निदेशालय स्थित सभी पदाधिकारी/सहायक घोषित नीति के आलोक में तथा बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के तहत कार्य सम्पादित करते हैं।
10	अपने प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा मासिक पारिश्रमिक जिसके अनतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो।	पदाधिकारी/कर्मचारी के वेतन के अनुरूप पेशाकर एवं आयकर की कटौती की जाती है।
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित कार्यों और किए गए संवितरणों पर निपोर्टों की विशिष्टियां, उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।	योजना व्यय एवं वितरण तथा बजट से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।	आवंटन की प्रति संलग्न वर्ष 2017–18
13	अपने द्वारा अनुदत रियायतों अनुज्ञापयों या प्राधिकारों के पारितकर्ताओं की विशिष्टियाँ।	घोषित विभिन्न नीतियों के तहत सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित है, जो रियायत के संबंध में निर्णय लेती है।
14	किसी इलेक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसके उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित है।	सारी सूचनाएँ झारखण्ड उद्योग निदेशालय के वेबसाईट पोर्टल पर धारित की जाती है।
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ	सचिवालय में आगंतुकों के लिए सामान्य सुविधा उपलब्ध है।

	जिनमें किसी पुस्तकालय या वाहन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हो तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।	
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ।	निदेशालय स्तर पर जन सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय पदाधिकारी घोषित है।
17	ऐसी सूचना जो विहित की जाए प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा।	सभी सूचनाएं उद्योग निदेशालय के वेबसाईट पर जारी की जाती है।

विश्वासभाजन

(रमाकान्त सिंह)
अपर उद्योग निदेशक

ज्ञापांक 888 /राँची, दिनांक 31/03/2018
प्रतिलिपिः– उप सचिव, कार्मिक प्रशासनिक, सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक 9471 दिनांक 08.11.2016 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

अपर उद्योग निदेशक